



# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं- 0151-2212046, ईमेल एड्रेस- comptroller@mgsbikaner.ac.in

## कैंटीन संचालन हेतु वार्षिक दर संविदा प्रपत्र

### निविदा-पत्र

कार्य का नाम-	कैंटीन संचालन	निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि	07.02.2015 मध्यान्ह 02:00 बजे तक
निविदा क्रमांक-			
अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क	रु. 500000/- रु. 10000/- रु. 200/-	निविदा खोलने की तिथि	07.02.2015 मध्यान्ह 03:00 बजे

- .....(वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिये निविदा ।
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का नाम.....
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या.....(प्रति संलग्न है।)
- किनको सम्बोधित किया गया.....
- संदर्भ.....
- निविदा शुल्क की राशि .....नकद रसीद.....एवं दिनांक.....द्वारा रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ ड्राफ्ट संख्या.....के द्वारा जमा करा दी गई हैं ।
- हम.....द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .....दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न पीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृष्ठों पर इनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।)
- निम्नलिखित मदों की आपूर्ति के लिये दरें संलग्न सूची अनुसार होगी

क्र.सं.	वस्तु का नाम मय विशेष विवरण	दर (रूपये)	कीमत केन्द्रिय बिक्री कर, राजस्थान बिक्री कर, चूंगी कर यदि कोई इसमें से डिस्काउन्ट, छूट (रिबेट) को घटा शुद्ध मूल्य
संलग्न सूची के अनुसार			

- फर्म द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित कैंटीन भवन का किराया रु. 3000/- प्रति माह से कम अंकित किये जाने पर निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी । (किराया राशि निविदा शर्तों के अंतर्गत दी गयी सारणी में अंकित करें)
- उपर उद्धृत की गई दरें एक वर्ष तक की अवधि के लिये विधिमाम्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
- बैंक ड्राफ्ट / बैंक चैक संख्या.....जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। दिनांक .....रूपये.....के लिये धरोहर राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
- निविदा पत्र के साथ नवीनतम बिक्री कर ;उल (मय वैट) चुकता पत्र संलग्न है।
- पूर्व में किये गये विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।(यदि हो तो प्राथमिकता दी जायेगी)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं- 0151-2212046, ईमेल एड्रेस- comptroller@mgsbikaner.ac.in

1. निविदादाता का नाम (फर्म) का पूरा पता :  
:  
:  
:
2. फर्म एकल/भागीदारी (दस्तावेजों की सत्यप्रति संलग्न करें):
3. भागीदारों के नाम :
4. नाम जो लेनदेन करेगा मय अधिकार पत्र की प्रति :
5. बैंक जिसके माध्यम से लेनदेन करते है :
6. दरें नीचे लिखी तालिका में आईटमवाइज समिति द्वारा निर्धारित की गयी है । सामग्री इसी दर पर उपलब्ध करवानी होगी ।

क्र. सं.	नाम सामग्री	मापदण्ड	दर समस्त कर सहित (रूपयें प्रति आईटम)
1.	चाय प्रति कप (चाय की पत्ती स्टेण्ड कंपनी की होनी चाहिए)	150 एम. एल	10/-
2.	चाय (डिप डिप)	150 एम. एल.	12/-
3.	गर्म दूध	200 एम. एल.	12/-
4.	काफी प्रति कप (नेस्केफे/ब्यु )	150 एम. एल.	12/-
5.	समोसा/कचोरी/आलूकोप्ता/ब्रेड पकोड़ा/पैटीज प्रति नग	70 ग्राम(उच्च श्रेणी के खाद्य तैल से निर्मित)	10/-
6.	वेजसैंडविच/पनीरकोप्ता/प्याजकचोरी/भेल-पुडी/	प्रति नग	15/-
7.	ताजे फलों का रस (पाईनेपल/मौसमी/बील)	200 एम.एल. (आईटम वाइज दरें दी जाएं)	30/-
8.	मौसम के अनुसार ताजे फलों का रस यथा (पपीता/आम/गाजर)	200 एम.एल. (आईटम वाइज दरें दी जाएं)	20/-
9.	आलू पराठा, आचार	प्रति नग	15/-
10.	भोजन थाली (साधारण)	(चपाती-6, दो सब्जी, दाल,चावल,दही,सलाद,मिठाई पापड़, अचार)	125/-
11.	भोजन थाली (वी.वी.आई.पी) मांग अनुसार	चपाती-6,पनीर-सब्जी, मलाईकोप्ता,मिक्सवेज,दाल, पुलाव,रायता,सलाद,पापड़, अचार,मिठाई,बिसलरी-पानी)	200/-
12.	मिठाई (शुद्ध देशी घी से निर्मित):-		
	1. मोती चूर के लड्डू	100 ग्राम	25/-
	2. बूंदी के लड्डू	100 ग्राम	20/-
	4. मावे की मिठाई (पेड़े, बर्फी, कलाकंद)	100 ग्राम	30/-

Tender



# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं- 0151-2212046, ईमेल एड्रेस- comptroller@mgsbikaner.ac.in

5.	छीणे की मिठाई (रसगुल्ले/ केसरवाटी)	प्रति नग	10/-
6.	रस मलाई/राजभोग	प्रति प्लेट	30/-
13.	नमकीन :- भुजिया/मिक्सर भुजिया (मोटी)/ भुजिया (बीकाजी/ भीखाराम चॉदमल/ बिशनलाल बाबुलाल)	50, 100, 200, 500 ग्राम	एम.आर. पी.पर
14.	चिप्स, कुरकुरे (लेज, अंकल चिप्स, बीकाजी)	प्रति नग (ग्राम सहित)	एम.आर. पी.पर
15.	बिस्किट मीठे व नमकीन (पारले, बितेनिया मेरीगोल्ड)	प्रति पैकेट (ग्राम सहित)	एम.आर. पी.पर
16.	छाछ (सरस)	200 एम. एल.	एम.आर. पी.पर
17.	लस्सी (सरस)	200 एम. एल.	एम.आर. पी.पर
18.	दही (सरस)	200 एम. एल.	एम.आर. पी.पर
19.	आईस्क्रीम (वाडिलाल, अमूल)	प्रति नग (ग्राम सहित)	एम.आर. पी.पर
20.	मिनरल वाटर बोटल (बिसलरी/एक्वाफिना)	01 लीटर	एम.आर. पी.पर
21.	चॉकलेट्स (अमूल/ डेयरीमिल्क)	प्रति नग (ग्राम सहित)	एम.आर. पी.पर
22.	शीतल पेय पदार्थ (कोका कोला, मरिंडा, थम्सअप, लिम्का, स्प्रार्ट, ड्यु, स्लाईस, माजा, रीअल ज्यूस)	200/500 एम एल, लीटर व 2 लीटर	1 एम.आर. पी.पर

उपर्युक्त आइटमों के अतिरिक्त अन्य खाद्य/पेय पदार्थ (ब्राण्डेड) भी आवश्यकता व सुविधा अनुसार कैंटीन में रख सकेगा, जिसकी दरें अलग से विश्वविद्यालय से अनुमोदित करानी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर



# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं- 0151-2212046, ईमेल एड्रेस- comptroller@mgsbikaner.ac.in

## कैंटीन संचालन हेतु वार्षिक दर संविदा की शर्तें

1. वार्षिक दर संविदा एक वर्ष के लिए होगी, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
2. निविदा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही भरकर देनी होगी अन्य किसी फार्म/कागज पर भेजी गई निविदा अस्वीकार होगी। धरोहर राशि रूपये 10000/- अग्रिम बतौर टैण्डर के साथ लगानी होंगी। धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. जिस ठेकेदार का कैंटीन किराया अनुमोदित होगा उसे अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि यथा 25 हजार रूपए विश्वविद्यालय कोष में धरोहर राशि को घटाते हुए शेष राशि 15000/- विश्वविद्यालय कोष में जमा करानी होगी।
4. ठेकेदार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमानुसार पंजीकृत होना चाहिए।
5. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिबंधित खाद्य सामग्री/ बीड़ी, सिगरेट/गुटखा/ नशीले पदार्थ बेचना निषिद्ध होगा अन्यथा इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
6. सफल निविदादाता अनुमोदित होने पर बकाया प्रतिभूति राशि 15000/- रूपए जमा कराते हुए 500/- रूपए के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर सात दिवस के अंदर-अंदर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
7. कैंटीन का संचालन विश्वविद्यालय के कैंटीन भवन में करना होगा, जिसका किराया पत्र जारी होने के 7 दिवस में प्रथम माह का किराया नगद विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाने के साथ शेष 11 माह का किराया फर्म की बैंक बुक के माध्यम से 11 बैंक अग्रिम जमा करवाने होंगे। बैंक बाउंस होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये कैंटीन संचालन बंद करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
8. कैंटीनकर्ता को प्रतिमाह प्रथम 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध होगी एवं 50 यूनिट से अधिक उपभोग पर कैंटीन संचालक को संपदा अधिकारी से उपभोग यूनिट का सत्यापन कराते हुए प्रतिमाह बिल का भुगतान विश्वविद्यालय कोष में जमा कराते हुए सूचना भण्डार शाखा में देनी होगी।
9. ठेकेदार को आधारभूत सुविधाएँ (बैठने की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन, पंखे, पानी) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी। जिसके रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की ही होगी।
10. कैंटीन के उपयोग हेतु रेफ्रिजरेटर, ओवन एवं समस्त प्रकार की कॉकरी आदि की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा करनी होगी।
11. ठेकेदार स्वयं को कैंटीन चलानी होगी। वह कैंटीन चलाने के लिए सबलैट अथवा किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
12. किसी प्रकार की प्रति-शर्त ( काउन्टर कंडीशन ) मान्य नहीं होगी।
13. निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की काट-छांट नहीं होनी चाहिए। किसी कारण काट-छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर ठेकेदार के होना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
14. निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
15. कैंटीन व उसके आस-पास की सफाई व्यवस्था ठेकेदार के जिम्मे होगी।
16. समस्त खाद्य एवं पेय पदार्थों को बनाने में उत्तम क्वालिटी की सामग्री ही काम में ली जावेगी। विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त समिति समय-समय पर कैंटीन संबंधी शर्तों के पालन एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर सकेगी। निविदा शर्तों/सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर एक सप्ताह के अंदर अंदर कमी पूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
17. भवन सुरक्षा के सन्दर्भ में समस्त मानदण्डों की पालना ठेकेदार द्वारा की जायेगी।
18. कार्य की प्रकृति के आधार पर लागू होने वाले समस्त नियम-कानूनों की पालना ठेकेदार को करनी होगी।
19. कैंटीन में स्वस्थ कार्यकर्ता ही मान्य होंगे। कैंटीन में कार्यरत कर्मचारियों के चरित्र इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार ही होगी।



# महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं- 0151-2212046, ईमेल एड्रेस- comptroller@mgsbikaner.ac.in

20. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के व्यवहार संबंधी शिकायतें आने पर कर्मचारियों को तुरंत बदलने की कार्यवाही करनी होगी अन्यथा ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
21. विश्वविद्यालय द्वारा लगाये गये सामान (भवन फिक्सचर) के रखरखाव/मरम्मत/ सफाई आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। अनुबंध समाप्त होने पर समस्त ऐसी सामग्री चालू हालत में ठेकेदार द्वारा विश्वविद्यालय को सुपुर्द करने पर ही प्रतिभूति राशि लौटायी जावेगी।
22. कैटिन संचालन का समय प्रातः 09:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक होगा। विशेष परिस्थितियों में समय का निर्धारण विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जा सकता है।
23. ठेकेदार द्वारा बाल श्रमिक अधिनियम की पालना की जानी अनिवार्य होगी।
24. कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक कार्यालय एवं विशेष समारोह स्थल पर आवश्यकता होने पर सेवाएँ दी जानी अनिवार्य होगी।
25. कैन्टीन में रखे गये सामान का विवरण, दर कैन्टीन के काउन्टर/बोर्ड पर लिखनी होगी।
26. निर्धारित दरों के अतिरिक्त अन्य खाद्य सामग्री की दरे विश्वविद्यालय प्रशासन से मान्य कराने के बाद ही कैन्टीन में रख सकेगे।
27. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को माननीय कुलपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
28. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जा सकती।
29. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं।

## वित्त नियंत्रक

कैटिन भवन का किराया (विद्युत खर्च निविदा शर्त के अनुसार)	राशि रूपयें प्रति माह	<u>शब्दों व अंकों में</u>	_____
	_____		

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपर्युक्त सभी शर्तें स्वीकार करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर